

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थी :-

सरकार

दीपसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :: 43 /2023

(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2023/78)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी.

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.2.2023	<p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर पुलिस थाना रोहट के प्रकरण संख्या 311/2022 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 4(एफ)(एच)7(i)(ii) पेट्रोलियम अधिनियम व 379,420,285 भादस में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल हिरो हीरो स्प्लेण्डर नम्बर RJ-19 DJ. 8017 को सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना रोहट द्वारा प्रार्थी के उक्त वाहन को वास्ते वजह सबूत अपने कब्जे में ले रखा है, जब्तशुदा मोटर साईकिल की पुलिस अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थी का वाहन खुल्ले में पड़ा है जिससे उसके रंग रोगन, मशीनरी एवं गुणवत्ता में भारी गिरावट होने की संभावना है। प्रार्थी प्रकरण के चलते उक्त वाहन का बेचाण हस्तान्तरण नहीं करेगा, न ही उक्त वाहन की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करेगा तथा तलब करने पर उक्त वाहन अपने खर्चे पर हाजिर अदालत रखेगा। अतः निवेदन है कि जब्तशुदा वाहन जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज कराने के आदेश प्रदान करावे।</p> <p>बहस सुनी गई जब्त सुदा मोटर साईकिल स्प्लेण्डर नम्बर RJ-19 DJ.8017 का प्रार्थी विरेन्द्र पुत्र श्री भगाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडाकला तहसील लुणी जिला जोधपुर जरिये आममुखितयार भंवरी देवी पत्नी श्री विरेन्द्र जाति पटेल निवासी 01 सियों की गली मोगडाकला तहसील लुणी स्वयं का वाहन स्वामी है, न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी सुपुर्दगीनामा एवं जमानत पेश करने के लिए सक्षम है प्रार्थी के वाहन प्रकरण में वजह सबूत जब्त किया है, प्रार्थी/वाहन मालिक अगर 80000/-रूपये का जमानतनामा एवं वाहन को सुपुर्द करने हेतु नियमानुसार सुपुर्दगीनामा पेश करे तथा वाहन किसी को हस्तान्तरण नहीं करने तथा उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा वाहन मंगवाये जाने पर पेश करने की शर्तों पर वाहन सुपुर्द करने हेतु आदेश जारी किए जावे। पत्रावली सुपुर्दगीनामा एवं जमानती का जमानतनामा पेश करने हेतु दिनांक 17-2-2023 को उपस्थित हो।</p>	

अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट,पाली